शासन या उसकी बाध्यता। तब भी परिवार में हर कोई देवता, घर में स्वर्ग, सुख-समृद्धि, शान्ति का स्वर्गिक आनन्द और सुरक्षा का सम्मिलित अहसास। परिणामस्वरूप परिवार के सभी सदस्यों में एक-दूसरे के प्रति प्यार, विश्वास, प्रोत्साहन के द्वारा प्रतिभा-विकास, सुरक्षा, आदर-सम्मान उपजने-निखरने लगता है।

परिवार में स्वाभाविक रूप से पाई जाने वाली यह स्वतः स्फूर्त कर्तव्य आधारित व्यवस्था ही प्राकृतिक या ब्रह्माण्डीय व्यवस्था के रूप में आदिकाल से वर्तमान है। इस प्राकृतिक ब्रह्माण्डीय व्यवस्था के ही कारण मानव-योनि को छोड़कर 84 लाख योनियों में; जहां न सरकार है न संविधान और न ही कोई कानून का शासन; इसके बावजूद न कोई युद्ध, न आतंक, न कोई जुल्म, न कोई शोषण, न झूठ-फरेब, न मक्कारी, न भीख, न भूख या गरीबी। हर तरफ शांति, समृद्धि एवं पूर्ण व्यवस्था, सहज, सरल, स्वाभाविक, सम्मिलित, सहयोग, साझेदारी, आपसदारी, स्वावलम्बन के आधार पर 84 लाख योनियां सृष्टि के आदिकाल से अब तक "प्रत्यक्ष एवं सहभागी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था" में शांतिपूर्वक स्थापित हैं। परन्तु मानव समाज के इधर 2000 वर्षों में इस व्यवस्था के साथ मानव चेतना की विवेक-भ्रष्टता एवं अहंकार की कुंठा के कारण, "अधिकारों" की सत्ता को कुछ इस तरह, शासन व्यवस्था के ताने-बाने में बुना गया कि विश्व स्तर पर यू0एन0 चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स-मानवाधिकारों को सर्वोच्च महत्व प्राप्त होता चला गया और श्रम और कर्तव्य की सत्ता तिरस्कृत एवं कमजोर होती चली गयी।

भारत में आज भी जबकि परिवार में कर्तव्य आधारित व्यवस्था के परिणामस्वरूप 100 करोड़ देवता बसते हैं, परन्तु परिवार की देहरी नागते ही, समाज में जाते ही यही 100 करोड़ देवता अपराधी, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, बलात्कारी एवं शोषक बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि परिवार की कर्तव्य-आधारित व्यवस्था के विपरीत, समाज की व्यवस्था, इसका संविधान "मूल अधिकार" आधारित है। समाज में सरकार भी है, संविधान भी है और कानून का शासन भी परन्तु फिर भी सुख-शान्ति-समृद्धि का अभाव है और चारों ओर अपराध, आतंक, अशांति, भूख एवं गरीबी।

इन सभी चुनौतियों के कार्यान्वयन के लिये, संविधान के मूल उद्देश्य "न्याय, सहयोग, समानता एवं स्वतंत्रता" पाने के लिये, हमारी शासन-व्यवस्था एवं उसके कानून, हमारी सभ्यता एवं संस्कृति के अनुरूप होने चाहियें। अब फैसले करने एवं संविधान के तीन अंगों, यथा उद्देश्य (Preamble), प्रणाली (System) एवं नियमों-अधिनियमों (Bylaws), में आवश्यक बदलाव या सुधार, समन्वयन और उनके कार्यान्वयन का वक्त आ चुका है।

व्यवस्था और परिणाम

सदाचार या दुराचार, नैतिकता या अनैतिकता, सज्जनता या दुर्जनता, शराफत या अपराध, अनुशासन या स्वेच्छाचार आदि हमारी सामाजिक, राजनैतिक व्यवस्थाओं का सहज परिणाम है।

जिस प्रकार भोग अज्ञान का और त्याग ज्ञान का सहज परिणाम है, उसी प्रकार परिवार में सदाचार, नैतिकता, सज्जनता, शराफत, अनुशासन आदि कर्तव्यमूलक व्यवस्था का सहज परिणाम है जबकि समाज में दुराचार, अनैतिकता, दुर्जनता, अपराध, स्वेच्छाचारिता अधिकार मूलक व्यवस्था का सहज परिणाम है।

कर्तव्य किसी की सभ्यता-संस्कृति पर आक्रमण नहीं करता। किसी के धर्म में बाधा नहीं डालता। किसी का अधिकार नहीं छीनता। कर्तव्य अपने अर्जित अधिकारों का दुरूपयोग नहीं करता। कर्तव्य शोषण, अत्याचार, आतंक एवं अन्याय का निषेध करता है। कर्तव्य-उत्तरदायित्व ही हमें नेतृत्व की पात्रता एवं क्षमता प्रदान करते हैं।

जब अच्छे व्यक्ति शासन करने का अपना कर्तव्य-उत्तरदायित्व छोड़ देते हैं तो उन्हें बुरे, अपराधी और भ्रष्ट लोगों द्वारा शासित होने का दण्ड भोगना पड़ता है।

आर्थिक स्वावलम्बन एवं क्रियान्वयन

प्रकृति से वरदानस्वरूप सूर्य का प्रकाश, गर्मी, हवा, पानी, यह शरीर और रहने को समुद्र, जमीन, पेड़-पौधें और प्राकृतिक संसाधन एवं भोजन आदि सभी कुछ 84 लाख योनियों को समान रूप में सम्मिलित भागीदारी, परस्पर निर्भरता और सह-अस्तित्व के आधार पर मिला हुआ है। भारत की राष्ट्रीय आय , सौ करोड़ व्यक्तियों के सामुहिक पुरूषार्थ का परिणाम है। इससे सभी नागरिकों को लाभान्वित होना चाहिए । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 'राष्ट्रीय आर्थिक वसीयत' का कानून भी पास किया ही जाना चाहिए ।